ग्राम पंचायत डलाह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के लेखाओं का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.21 से 31.03.23

भाग- एक

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व सयुंक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत डलाह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं का अंकेक्षण कार्य, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्री हेमंत कुमार	01.04.2021 से लगातार

सचिव :-

क्र० सं०	नाम	अवधि
1	श्रीमती राजकुमारी	01-04-2021 से 31-03-2022
2	श्री पवन कुमार	01-04-2022 से 18-04-2022
3	श्री जय देव	19-04-2022 से लगातार

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत डलाह के लेखाओं अवधि 01-04-2021 से 31-03-2023 के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	4.1	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में अन्तर बारे	4.53
2	5(ख)	अनुदान राशि का उपयोग न करना	45.39
3	6(क)	गृह कर न वसूलने बारे	1.19
4	6(ख)	दुकान किराया न वसूलने बारे	0.43
5	6(ग)	विवाह पंजीकरण शुल्क न वसूलने बारे	0.05
6	6(घ)	रसीद बुकों में अधिलेखन/काट-छाँट(टेंपरिंग) कर रोकड़ बही में कम दर्शा कर बैंक में कम जमा करवाए जाने का संभावित/दुर्विनियोजन के सन्दर्भ में।	0.53
7	7(क)	आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती कम करने के कारण अधिक भुगतान करना	0.16
8	7(ख)	स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके वसूली न करना	0.03
9	8(क)	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	4.05

भाग- दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत डलाह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का वर्तमान व प्रथम अंकेक्षण श्री दलजीत कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक व श्री रजिन्दर कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02-12-2023 से 12-12-2023 तक ग्राम पंचायत कार्यालय मे किया गया। लेखाओं की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया।

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2021-22	01/22	11/21
2022-23	06/22	08/22

अस्वीकरण :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई किसी भी गलत सूचना/ अभिलेख के अपूर्ण/ गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, उत्तरदायी नहीं होगा। विभाग का उत्तरदायित्व केवल चयनित माह तक ही सीमित रहेगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत डलाह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक के लेखाओं का अंकेक्षण शुल्क ₹8000/- आँका गया है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि.प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला-9 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023- दिनांक द्वारा अनुरोध किया गया है।

4 **वितीय स्थिति :-**

ग्राम पंचायत डलाह द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 के लेखाओं की वितीय स्थिति निम्न प्रकार से थी :-

(i) स्वः स्त्रौत व 5वां वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत कुन्नू के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की स्वः स्त्रौत व अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (क)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	1869019	595258	2464277	615095	1849182
2022-23	1849182	1019253	2868435	1151092	1717343

(ii) अनुदान :- ग्राम पंचायत डलाह के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की अनुदानों की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ख)** में संलग्न है :-

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	1201937.31	394300	1596237.3	966840	629397.3
2022-23	629397.3	1468726	2098123.3	1583038	515085.3

दिनांक 31.03.23 को सामान्य निधि व अनुदान का अन्तशेष **2232428.3**

दिनांक 31.03.23 को बैंक में जमा व हस्तगत राशि का विवरण :-

Bank name	Account no.	Name of head	Closing balance as on 31.03.2023
H.P State cooperative bank,padhar	34710100339	Own source & 5th state	1874358.77
H.P State cooperative bank,padhar	34710102556	14th fc	39674
H.P State cooperative bank,padhar	34710109337	Development works	571130.99
State bank of india padhar	11589829821	Sbm	0
			2485163.76

Bank Reconicilation as on 31-03-2023		
Balance as per cash book		**2232428.30**
Balance as per Pass book		**2485163.76**
Net Difference		**252735.46**

(ii) 15 वाँ वित्त आयोग:- ग्राम पंचायत डलाह, के अवधि 01.04.21 से 31.03.23 तक की 15 वाँ वित्त आयोग की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण **परिशिष्ट (ग)** में संलग्न है :-

वर्ष	अथ शेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2021-22	863596	1750167	2613763	0	2613763
2022-23	2613763	3980287	6594050	2570223	4023827

बैंक समाधान विवरणी :-

Bank Reconcilication as on 31 03-23		
Balance as per cash book	**4023827**	
Add: interest added in pass book on dated 01.10.21 of Rs 25934 but not taken in cash book	25934	
add:-grant of Rs 254484 taken in pass book on dated 15.06.22 but not taken in cash book	254484	
add:- grant of Rs 246824 taken in pass book on dated 27.03.23 but not taken cash book	246824	**4551069**
Balance as per Pass book a/c no. 34710108327		**4751924**
Net Difference		**200855**

(iv) मनरेगा

वर्ष	**अथ शेष**	**प्राप्ति**	**ब्याज**	**योग**	**व्यय**	**अन्तिम शेष**
2021-22	0	4894179.94	0	4894179.94	4894179.94	0
2022-23	0	5209612.23	0	5209612.23	5209612.23	0

4.1 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करना जिसके फलस्वरूप रोकड़ बही व बैंक खाते में ₹4.53 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है । जबकि पंचायत की रोकड़ बही के अवलोकन में पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.23 को रोकड़ बही में दर्ज प्रविष्टियों के अनुसार रोकड़ बही एवं बैंक के अन्तिम शेष में **₹453590.46** की राशि का अन्तर पाया गया। अत: मिलान करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत कराया जाये ।

5. (क) पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय के लिये अलग बैंक खाते का संचालन न करना :-

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1 व 2) में पंचायत द्वारा दो बैंक खाते खोले जाने का प्रावधान है, जिसमें से खाता "क" में पंचायत के स्वयं संसाधनों से प्राप्त आय तथा खाता "ख" में प्राप्त समस्त अनुदानों को जमा करवाए जाने का प्रावधान है परन्तु ग्राम पंचायत डलाह के लेखाओं की अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के संचालन हेतु बैंक खाते खोले गये थे और उपरोक्त नियम की अनुपालना में पंचायत के स्वः स्त्रोतों की आय हेतु खाता "क" का संचालन अलग से नहीं किया जा रहा था । अतः इस सन्दर्भ में उपयुक्त स्पष्टीकरण के अतिरिक्त उचित सुधारात्मक कार्यवाही नियमानुसार करते हुये अनुपालना से अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाये।

(ख) अनुदान ₹45.39 लाख का उपयोग न करना :-

सचिव ग्राम पंचायत डलाह द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई अनुदानों से सम्बन्धित अभिलेख/सूचनाओं के अवलोकन पर पाया गया कि पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.23 तक अनुदान ₹45,38,912.30 की राशि उपयोग हेतु शेष थी जिसका विवरण **पैरा संख्या 4(ii), 4(iii)** में दिया गया है जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है । अतः वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए

(ग) अनुदान रजिस्टर का उचित अनुरक्षण व अद्यतन न करना

ग्राम पंचायत डलाह द्वारा अंकेक्षण अवधि **01.04.2021** से **31.03.2023** के दौरान अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन नहीं किया गया था जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम **2002** के नियम **31** की अवहेलना की गयी है ।

अतः इस सम्बन्ध में वस्तु स्थिति स्पष्ट की जाए तथा अनुदान रजिस्टर का नियमानुसार उचित अनुरक्षण व अद्यतन करना सुनिश्चित करते हुए अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

6. **(क) पंचायत राजस्व गृह कर की देय राशि ₹1.19 लाख की वसूली न करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम **1994** की धारा **100** तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्ष, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम **2002** के नियम **32** के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर/गृहकर कर वसूली करना अपेक्षित है। ग्राम पंचायत डलाह के गृहकर की आय से सम्बन्धित अभिलेखों की जाँच करने पर पाया गया कि **परिशिष्ट (घ)** अनुसार **₹ 119300** की वसूली नहीं की गई थी जिससे स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की उगाही के प्रति गम्भीर नही है । अतः परामर्श दिया जाता है कि लम्बित करों एवं बकाया राशियों की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख) पंचायत राजस्व दुकान के किराए की राशि ₹0.43 लाख की वसूली हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत की स्व स्त्रौतों से प्राप्त आय का, संबन्धित उपलब्ध अभिलेख से अंकेक्षण करने पर पाया गया कि दुकान के किराए के रूप में ₹42638/- की राशि वसूली हेतु शेष थी, जिसका विवरण **परिशिष्ट-(ङ)** में दिया गया है जिसकी वसूली, अतिशीघ्र करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्यवाही से आगामी अंकेक्षण के दौरान अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

(ग) विवाह पंजीकरण शुल्क ₹0.05 लाख की वसूली न करना :-

संयुक्त निदेशक, पंचायती राज विभाग, हि0प्र0 के पत्र संख्याः PCH-HA(1)8/2013-Marriage-8017-8106 दिनांक 28.10.16 व सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, हिमाचल प्रदेश शिमला की अधिसूचना संख्याः SJE-A-A(3)-1/2015 दिनाँक 4.10.16 के अन्तर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में 200 प्रति पंजीकरण तथा विलम्ब के लिए 400 अर्थात दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त की जानी निर्धारित है परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अवधि 01.04.22 से 31.03.2023 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में निम्न विवरणानुसार **₹4600** की कम वसूली की गई थी। जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	रजिस्टर पृष्ठ संख्या	रसीद संख्या	मुखिया का नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	भुगतान योग्य राशि	प्राप्त राशि	अन्तर की राशि
1	nill	nill	अविनाश राणा सुपुत्र श्री धर्मेंदर सिंह	21-11-2021	02-12-2021	200	nill	200
2	nill	nill	दिनेश सिंह सुपुत्र श्री सतवीर सिंह	24-10-2021	16-12-2021	400	nill	400
3	nill	nill	पवन कुमार सुपुत्र श्री नरोतम	10-11-2021	23-12-2021	400	nill	400
4	nill	nill	इन्द्र सिंह सुपुत्र श्री जगत राम	15-11-2021	24-12-2021	400	nill	400
5	nill	nill	विजय कुमार सुपुत्र श्री केसर सिंह	24-10-2021	06-01-2022	400	nill	400
6	nill	nill	सुनील कुमार सुपुत्र श्री घनश्याम	15-12-2021	06-01-2022	200	nill	200
7	nill	nill	प्रवीण कुमार सुपुत्र श्री दूनी चंद	14-12-2021	14-01-2022	400	nill	400
8	nill	nill	नीरज कुमार सुपुत्र श्री हरनाम	23-01-2022	20-02-2022	200	nill	200

9	nill	nill	शिव कुमार सुपुत्र श्री भूरी सिंह	13-06-2022	12-07-2022	200	nill	200	
10	nill	nill	दीपक कुमार सुपुत्र श्री दामोदर दास	31-07-2022	20-08-2022	200	nill	200	
11	nill	nill	अनिल कुमार सुपुत्र श्री दूनी चंद	06-11-2022	25-11-2022	200	nill	200	
12	nill	nill	प्रेम सिंह	09-12-2022	20-12-2022	200	nill	200	
13	nill	nill	हरीश कुमार सुपुत्र श्री मनोहर लाल	02-12-2022	03-01-2023	400	nill	400	
14	nill	nill	दीप कुमार सुपुत्र श्री पवन कुमार	26-01-2023	07-02-2023	200	nill	200	
16	nill	nill	अजय वर्मा सुपुत्र श्री भूपेन्द्र पाल	02-12-2022	09-02-2023	400	nill	400	
17	nill	nill	आसिम सुपुत्र श्री जगदीश चंद	09-02-2023	27-02-2023	200	nill	200	
								4600	

सचिव ग्राम पंचायत को अंकेक्षण अधियाचना संख्याः डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-162 दिनांक 12.12.23 द्वारा इस सम्बन्ध में अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु कहा गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि जिन आवेदनकर्ताओं से कम शुल्क लिया गया था उनसे वसूली करने के उपरांत पंचायत निधि में जमा करवा दिया

जाएगा तथा भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नहीं जाएगा । अत : परामर्श दिया जाता है कि उपरोक्त राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करते हुए पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से आगामी अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

(घ) रसीद बुकों में अधिलेखन/काट-छाँट(टेंपरिंग) कर रोकड़ बही में कम दर्शा कर बैंक में कम जमा करवाए जाने से ₹0.53 लाख का संभावित/दुर्विनियोजन के सन्दर्भ में :-

ग्राम पंचायत डलाह अवधि वर्ष 01.04.2021 से 31.03.2023 के अंकेक्षण के दौरान आय से संबन्धित अभिलेखों की जांच में पाया गया कि निम्न-विवरणानुसार पंचायत द्वारा विभिन्न व्यक्तियों/संस्था से किराए के रूप में राशि प्राप्त की गयी थी, लेकिन इन रसीदों की कार्यालय प्रतियों में अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि को कम कर दिया गया था एवं कम राशि को ही रोकड़ बही में दर्ज करने उपरांत कम राशि बैंक में जमा करवाई गयी । उक्त रसीदों की जांच में यह भी पाया गया कि अधिकतर रसीदों में अपेक्षित विवरण जैसे शब्दों व अंकों में शुल्क राशि, प्राप्ति माह एवं वर्ष, रसीद जारी करने की तिथि व जिसे रसीद को जारी किया गया था, का पूर्ण विवरण भी नहीं दिया गया था जिससे संस्था/व्यक्ति विशेष से किस तिथि को कितनी राशि प्राप्त की गयी व प्राप्ति हेतु शेष राशि की जांच भी नही की जा सकी । अतः अंकेक्षण अवधि में पंचायत निधि के रूप में ₹53500.00 के दुरुपयोग की सम्भावना प्रतीत होने पर अंकेक्षण अधियाचना संख्या 157, दिनांक 06.12.2023 द्वारा पंचायत सचिव को सूचित किया था जिसकी प्रतिलिपि विकास खण्ड अधिकारी द्रंग को भी प्रेषित की गयी थी, जिसका कोई भी प्रतिउत्तर प्रस्तुतन करने पर पुनः अंकेक्षण अधियाचना संख्या, दिनांक 12.12.2023 द्वारा उचित कार्यवाही हेतु आग्रह किया गया था लेकिन कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लायी गयी जिससे निम्न-विवरणानुसार ₹53500.00 के दुरुपयोग होने से इंकार नही किया जा सकता है । सम्भावित दुरुपयोग राशि का विवरण निम्नलिखित है :-

क्र. सं०	रसीद संख्या	दिनांक	व्यक्तियों व संस्था का नाम	शीर्ष	वर्ष	रोकड़/बैंक बही में दर्ज राशि	वास्तविक प्राप्त राशि	कम जमा राशि	टिप्पणी
1	72128	Nill	राकेश चौहान	सामुदायिक भवन बूकिंग	2021-22	200	2000	1800	अधिलेखन(टेंपरिंग)/ काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 2000 की जगह 200 रुपए जमा करना

2	72132	nill	साकार स्कूल दिवयांग स्कूल	साकार स्कूल दिवयांग स्कूल	2021-22	2000	12000	10000	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 12000 की जगह 2000 रुपए जमा करना
3	72133	nill	मुरारी लाल सुपुत्र लछि राम घर सचान	सामुदायिक भवन बूकिंग	2021-22	2000	7000	5000	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 7000 की जगह 2000 रुपए जमा करना
4	72134	nill	विपन सिंह स्थायी निवासी नूरपुर	सामुदायिक भवन बूकिंग	2021-22	200	2000	1800	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 2000 को 200 रुपए करना
5	72138	nill	अरुण कुमार	सामुदायिक भवन बूकिंग	2021-22	100	1000	900	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 1000 को 100 रुपए करना
6	72139	nill	ओम प्रकाश सुपुत्र लोभी राम	दुकान किराया 1-1-2019 से 01-08-2021 तक 330 प्रति माह के हिसाब से	2021-22	560	10560	10000	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 10560 को 560 रुपए करना
7	72143	nill	अनीता कुमारी पत्नी नागेंद्र कुमार	दुकान किराया 04/21 से 09/21 तक 450 प्रति माह के हिसाब से	2021-22	700	2700	2000	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 2700 को 700 रुपए करना
8	72153	निलल	कृपाल सिंह सुपुत्र गंगा राम	दुकान किराया 01-02-2019 से 12/21 तक 363 प्रति माह के हिसाब से	2021-22	2705	12705	10000	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 12705 को 2705 रुपए करना

9	72156	nill	सलोचना पत्नी देवी राम	सामुदायिक भवन बूकिंग	2021-22	500	2500	2000	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 2500 को 500 रुपए करना
10	72158	nill	रवि सिंह सुपुत्र श्री खजान सिंह	दुकान किराया 05/2019 से 11/21 तक 395 प्रति माह के हिसाब से	2021-22	1455	11455	10000	अधिलेखन(टेंपरिंग)/काट-छाँट करके इन रसीदों से प्राप्त राशि 11455 को 1455 रुपए करना
								53500	

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-157 दिनांक 06.12.23 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा कोई भी प्रतिउत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।अतः इस सन्दर्भ में विभागीय स्तर पर जांच करने उपरान्त इस राशि के अतिरिक्त अन्य राशि भी पाई जाती है तो उसकी गणना कर उक्त के अतिरिक राशि की वसूली भी उचित स्त्रौत से दंडात्मक ब्याज सहित वसूली कर सुनिश्चित करते हुये अनुपलना से अंकेक्षण से अवगत करवाया जाए ।

7. (क). आपूर्तिकर्ता/सप्लायर बिल से रॉयल्टी की कटौती न करने के कारण ₹0.16 लाख का अधिक भुगतान करना

हिमाचल प्रदेश इंडस्ट्री विभाग की अधिसूचना संख्याः Ind-II(f)/6-14/2014-Vol-I दिनांक 10.02.2022 के अनुसार खनन सामग्री रैसे रेत/बजरी/पत्थर इत्यादि पर सरकार को रॉयल्टी का भुगतान किया जाना अपेक्षित था । विकास/निर्माण कार्य पर उपयोग की जाने वाली सामग्री (रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि) के लिए सप्लायर/आपूर्तिकर्ता माईनिंग अधिकारी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा यदि वह प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं करता है तो ग्राम पंचायत द्वारा बिल की अदायगी करते समय रॉयल्टी की कटौती करके राशि को राजकीय कोष के शीर्ष 0853-102-01-05 में जमा किया जाना अपेक्षित था। अंकेक्षण के दौरान विभिन्न निर्माण कार्य बिलों की जाँच में पाया गया गया कि कार्य स्थलों पर रेत बजरी, पत्थर का उपयोग किया गया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा सप्लायर के बिल से न तो रायल्टी की कटौती की गई थी और न ही अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया था जिस कारण निम्न विवरणानुसार आपूर्तिकर्ता व्यक्ति/संविदाकार को ₹ 16443.35 का अधिक भुगतान किया गया था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है है:-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या /दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	मात्रा CFT	मात्रा CUM	निर्धारित फैक्टर	मात्रा प्रति मीट्रिक टन	रॉयल्टी प्रति मीट्रिक टन	राशि
	BASP									
1	अक्षय महंत ठेकेदार & सपलाइर गाँव नारला डाकघर व तहसील पधर जिला मंडी	**031/ 26.11.21**	ईंट	40000	0	0.00	0	4000.00	0.05	200.00
	MPLAD									
2	नवीन कुमार प्राइवेट ठेकेदार व सपलाइर गाँव व डाकघर रोपा तहसील पधर जिला मंडी	333/ 28.03.21	रेत पठान कोट	8400	150	4.25	1.62	6.88	60	412.61
3	नवीन कुमार प्राइवेट ठेकेदार व सपलाइर गाँव व डाकघर रोपा तहसील पधर जिला मंडी	333/ 28.03.21	रेत	7800	150	4.25	1.62	6.88	60	412.61
4	नवीन कुमार प्राइवेट ठेकेदार व सपलाइर गाँव व डाकघर रोपा तहसील पधर जिला मंडी	333/ 28.03.21	बजरी	15600	300	8.49	1.62	13.75	60	825.23
	VKVNY									
5	अक्षय महंत ठेकेदार &	023/ 20.08.21	रेत	8475	150	4.25	1.62	6.88	60	412.61

	सपलाइर गाँव नारला डाकघर व तहसील पधर जिला मंडी									
6	अक्षय महंत ठेकेदार & सपलाइर गाँव नारला डाकघर व तहसील पधर जिला मंडी	023/ 20.08.21	बजरी	8475	150	4.25	1.62	6.88	60	412.61
7	अक्षय महंत ठेकेदार & सपलाइर गाँव नारला डाकघर व तहसील पधर जिला मंडी	027/ 05.10.21	रेत	4237	75	2.12	1.62	3.44	60	206.31
8	अक्षय महंत ठेकेदार & सपलाइर गाँव नारला डाकघर व तहसील पधर जिला मंडी	027/ 05.10.21	बजरी	4237	75	2.12	1.62	3.44	60	206.31
	15वां वित्त आयोग									
9	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	108/ 18.07.22	बोल्डर	19500	0	15.00	1.62	24.30	80	1944.00
10	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील	107/ 12.07.22	रेत	14000	250	7.08	1.62	11.46	80	916.92

	सदर जिला मंडी									
11	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	107/ 12.07.23	बजरी	22400	400	11.32	1.62	18.34	80	1467.07
12	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	103/ 07.06.22	रेत	14000	250	7.08	1.62	11.46	80	916.92
13	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	103/ 07.06.22	बजरी	22400	400	11.32	1.62	18.34	80	1467.07
14	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	105/ 10.06.22	बोल्डर	26000	0	20.00	1.62	32.40	80	2592.00
15	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	102/ 06.06.22	रेत	8400	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
16	भोला राम जनरल स्टोर	102/ 06.06.22	बजरी	8400	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15

	गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी									
	मनरेगा									
17	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	109/ 16.07.22	रेत	8400	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
18	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	109/ 16.07.22	बजरी	8400	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
19	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	110/ 17.07.22	रेत	8400	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
20	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	110/ 17.07.22	बजरी	8400	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15
	SBM									
21	**अक्षय महंत ठेकेदार & सपलाइर गाँव नारला**	047/ 11.03.22	बजरी	8475	150	4.25	1.62	6.88	80	550.15

	डाकघर व तहसील पधर जिला मंडी									
22	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	127/nill	ईंट	40000	0	0.00	0	4000.00	0.05	200.00
	कुल योग									**16443.35**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:-डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-162 दिनांक 12.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डलाह के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था, जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि रॉयल्टी के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः परामर्श दिया जाता है कि रॉयल्टी की कम वसूली गयी राशि को उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपलना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए ।

(ख). स्त्रोत पर आयकर की कटौती न करके ₹ 0.03 लाख की वसूली न करना

सचिव ग्राम पंचायत डलाह द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई सूचना व व्यय की जांच करने पर पाया गया कि निम्नलिखित विवरण अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 में विभिन्न फर्मो व व्यक्तियों को भुगतान किया गया था । लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार अंकेक्षण अवधि के दौरान ₹ 3335.30 की स्त्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी । आयकर की धारा 194 (c) में विहित प्राबधान के अनुसार स्त्रोत पर कर की कटौती करना अपेक्षित था । जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

क्र0 सं0	आपूर्तिकर्ता	बिल संख्या / दिनांक	मद का नाम	भुगतान राशि	कटौती की दर	राशि
	15वां वित्त आयोग					
1	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर	108/18.07.22	बोल्डर	19500	1.00%	195.00

	जिला मंडी					
2	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	107/12.07.22	रेत	14000	1.00%	140.00
3	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	107/12.07.23	बजरी	22400	1.00%	224.00
4	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	103/07.06.22	रेत	14000	1.00%	140.00
5	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	103/07.06.22	बजरी	22400	1.00%	224.00
6	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	105/10.06.22	बोल्डर	26000	1.00%	260.00
7	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	102/06.06.22	रेत	8400	1.00%	84.00
8	उमेश कुमार सरकारी ठेकेदार,गाँव सीह,डाकघर कुन्नु,जिला मंडी	008/06.12.2022	जेसीबी कटिंग	27030	1.00%	270.30
9	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	102/06.06.22	बजरी	8400	1.00%	84.00
	मनरेगा					
10	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर	109/16.07.22	रेत	8400	1.00%	84.00

	जिला मंडी					
11	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	109/16.07.22	बजरी	8400	1.00%	84.00
12	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	110/17.07.22	रेत	8400	1.00%	84.00
13	उमेश कुमार सरकारी ठेकेदार,गाँव सीह,डाकघर कुन्नू,जिला मंडी	004/27/07/2022	जेसीबी कटिंग	97800	1.00%	978.00
14	भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी	110/17.07.22	बजरी	8400	1.00%	84.00
	SBM					
15	**भोला राम जनरल स्टोर गाँव व डाकघर टिक्कर तहसील सदर जिला मंडी**	127/nill	ईंट	40000	1.00%	400.00
						3335.30

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्याः- डी.के/एम.ए.एन.डी.आई/एस.ए.डी./2023-162 दिनांक 12.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत डलाह के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि आयकर के रूप में कम वसूल राशि को वसूल कर के सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा । अतः स्त्रोत पर आयकर की कटौती/वसूली न करने का या तो पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा राशि की वसूली उचित स्त्रोत से सुनिश्चित करके अनुपालना से आगामी अंकेक्षण में अवगत करवाया जाए ।

(ग) वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹ 10.04 लाख ज्यादा व सामान पर राशि ₹ 10.04 लाख कम व्यय करना |

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹ 40.4 लाख की जगह ₹ 30.36 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 10.04 लाख कम व्यय व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹ 60.61 लाख की जगह ₹ 70.65 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹ 10.04 लाख ज्यादा किया गया। जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	कुल व्यय	मजदूरी पर व्यय	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%)	सामान पर व्यय	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%)
	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)	(लाखों में)
2021-22	48.94	37.63	29.36	11.3	19.57
2022-23	52.09	33.02	31.25	19.06	20.83
कुल आय	**101.03**	**70.65**	**60.61**	**30.36**	**40.4**

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-162 दिनांक 12.12.2023 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत डलाह के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि निर्धारित सीमा से अधिक किये गए व्यय को निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही व्यय किया जाएगा। अतः वितीय वर्ष 2021-22 व 2022-23 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 10.04 कम व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹ 10.04 लाख ज्यादा व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से

कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए । अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए ।

8. **(क) नियमानुसार विहित औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ₹4.05 लाख का निर्माण सामग्री का क्रय करना**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक/स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं । परन्तु अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों का अंकेक्षण करने पर पाया गया कि अनुसार पंचायत द्वारा बर्ष 2021-22 व 2022-23 में ₹ 404140 की निर्माण से समाबंधित सामग्री का क्रय नियमानुसार निविदा/कोटेशन सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना ही किया गया था, जोकि गम्भीर अनियमितता है जिसके अभाव में यह ज्ञात करना संभव नहीं है कि उक्त बर्ष में विभिन्न सामग्री की क्रय दर कितनी थी तथा जिस मूल्य पर खरीद की गयी थी उसके संबंध में उचित अभिलेख न होने के कारण निम्न विवरणानुसार क्रय की गयी सामग्री पर किए गए व्यय को उचित नहीं ठहराया जा सकता है जोकि पंचायत निधि के धन के दुरुपयोग को भी दर्शाता है । जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	बिल संख्या/दिनांक	शीर्ष	आपूर्तिकर्ता	मद का नाम	भुगतान राशि
1	10262/25.12.2021	general head	durga sales corporation near sbi bank padhar,vpo & tehsil padhar	angles & pipe	29500
2	9990/24.11.2021	general head	durga sales corporation near sbi bank padhar,vpo & tehsil padhar	tmt steel	23300
3	01923/07.08.2022	15th fc	verma cocrete works village bhadyal,post office tikkar,tehsil sadar,distt mandi	rcc pipes	63720

4	2222/05.12.2022	15 th fc	verma cocrete works village bhadyal,post office tikkar,tehsil sadar,distt mandi	rcc pipes	35990
5	008/06.12.22	15 th fc	umesh kumar govt contractor,vill seeh,post office kunnu,tehsil padhar,distt mandi	jcb cutting	27030
6	DSC-83/18.03.2023	15 th fc	durga sales corporation near sbi bank padhar,vpo & tehsil padhar	tmt bar	126800
7	004/27.07.22	manrega	umesh kumar govt contractor,vill seeh,post office kunnu,tehsil padhar,distt mandi	jcb cutting	97800
					404140

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-162 दिनांक 12.12.23 को अंकेक्षण के दौरान ही सचिव ग्राम पंचायत डलाह के ध्यानार्थ लाया गया जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि भविष्य में इस प्रकार की त्रुटि को दोहराया नही जाएगा । उत्तर संतोषजनक नही था अतः परामर्श दिया जाता है की वर्णित अनियमितता का पूर्ण औचित्य स्पष्ट करते हुए वर्ष 2021-22 व 2022-23 में किए गए व्यय की उचित कार्यवाही करके जांच की जाए तथा इसे उचित सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए व भविष्य में नियमानुसार सभी औपचारिकताएं पूर्ण करते हुए वस्तुओं/सामग्री का क्रय करना सुनिश्चित किया जाए तथा कृत कार्रवाई से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

(ख) ₹ 0.54 लाख के भुगतान बिलों/वाउचर को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने बारे ।

ग्राम पंचायत डलाह विकास खण्ड द्रग , जिला मंडी हि० प्र ० की अवधि 1.04.21 से 31.03.23 के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा निम्न विवरणानुसार ₹53881 के भुगतान बिलों/वाउचर को संबन्धित नस्ति में सलंगन नहीं किया गया था और न ही अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत किया गया जिसका विवरण इस प्रकार से है :-

क्रम संख्या	आपूर्तिकर्ता	बिल/वाउचर संख्या	शीर्ष	कार्य का नाम	मद का नाम	टिप्पणी	भुगतान राशि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	nill/14/05/22	सामान्य निधि	nill	टेलीफोन बिल	अंकेक्षण से बिल को प्रस्तुत न करना	677
3	हि. प्र. सिविल सप्लाई लिमिटेड	0087153/06/07/21	मनरेगा	क्रेट वाल रोपड़ नाला	सीमेंट बैग	अंकेक्षण से बिल को प्रस्तुत न करना	15104
4	nill	501/28.12.20	मनरेगा	c/o RWH tank of kunju ram s/o thepda(basehad)	nill	अंकेक्षण से बिल को प्रस्तुत न करना	4800
5	nill	502/29.12.20	मनरेगा	c/o RWH tank of kunju ram s/o thepda(basehad)	nill	अंकेक्षण से बिल को प्रस्तुत न करना	4800
6	nill	01/20.12.20	मनरेगा	plantation in land of kishori lal s/o sant ram(sanrhad)	nill	अंकेक्षण से बिल को प्रस्तुत न करना	28500
							53881

उक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या डी.के/एम.ए.एन.डी.आई /एस.ए.डी./2023-162 दिनांक 12.12.23 ग्राम पंचायत डलाह के सचिव के ध्यानार्थ में वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु लाया गया था जिसके प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा सूचित किया गया कि बिल प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दिया जाएगा व इस प्रकार की त्रुटि को नहीं दोहराया जाएगा । उत्तर संतोषजनक नहीं था । अतः भुगतान बिलों को अंकेक्षण में जांच हेतु प्रस्तुत न करने का

औचित्य स्पष्ट किया जाए अन्यथा उक्त भुगतान की उचित स्त्रोत से वसूली करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

9. (क) बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु जाँच के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/ अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

(ख).विहित रजिस्टरों/अभिलेख का अनुरक्षण न करना

हि0प्र0 पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 के अन्तर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य था । अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है ।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(2)
5	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टरों का नियमानुसार उचित तरीके से अनुरक्षण नहीं किया गया है।	25 व 26	72(1) (ए व बी)
6	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी व डी)
7	रसीद बुक जारी करने का रजिस्टर	------	31
8	बिल रजिस्टर	13	48

अतः नियमानुसार अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

10. **प्रत्यक्ष सत्यापन:-**

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया है, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित कार्यवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

11. **लघु आपति विवरणिका:**-यह अलग से जारी नहीं की गई है।

12. **निष्कर्ष:**-लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.2.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

929- 933   20 FEB 2024

पृष्ठांकन संख्या:– फिन (एल0ए0) एच (पंच) (15)(11) 143/2024 खण्ड–1 दिनांक शिमला–09
प्रतिलिपि:– निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कसुम्पटी, शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2. उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3. जिला पंचायत अधिकारी मण्डी, जिला मण्डी, हि0प्र0।
4. खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0।
5. (पंजीकृत) सचिव, ग्राम पंचायत डलाह, विकास खण्ड द्रंग, जिला मण्डी, हि0प्र0 को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उतर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

(कृष्ण लाल नेगी) 19.2.24
सहायक निदेशक
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग
शिमला–171009

परिशिष्ठ – "क"

Financial position of Own Sources & 5th state of Gram Panchyat dalah					
Year	Opening Balance	Income	Total	Expenditure	Closing balance
2021-22	1869019	595258	2464277	615095	1849182
2022-23	1849182	1019253	2868435	1151092	1717343

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत डलाह
वि०ख० द्रगं स्थित पधंर
जिला मण्डी (हि०प्र०)

परिशिष्ठ-(ख)

Financial position of grant in aids of Gram Panchyat Dalah					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	1201937.31	394300	1596237.3	966840	629397.3
2022-23	629397.3	1468726	2098123.3	1583038	515085.3

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत डलाह
वि0ख0 द्रगं स्थित पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

परिशिष्ट –"(ग)"

Financial position of 15 th FCof Gram Panchyat ~~kunnu~~ Dah					
Year	**Opening Balance**	**Income**	**Total**	**Expenditure**	**Closing balance**
2021-22	863596	1750167	2613763	0	2613763
2022-23	2613763	3980287	6594050	2570223	4023827

Bank Reconicilation as on 31 03-23			
Balance as per cash book	4023827		
ADD: interest added in pass book on dated 01.10.21 of Rs 25934 but not taken in cash book	25934		
add:-grant of Rs 254484 taken in pass book on dated 15.06.22 but not taken in cash book	254484		
add:- grant of Rs 246824 taken in pass book on dated 27.03.23 but not taken cash book	246824		4551069
Balance as per Pass book			4751924
Net Difference			200855

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत डवाह
वि0ख0 द्रंग स्थित पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)

परिशिष्ठ -(घ)

01/04/2021 से 31/03/2023 तक ग्राम पंचायत डलाह की गृह कर रिपोर्ट

वर्ष	O.B.	डिमांड	O.B.+ डिमांड	प्राप्त राशि	शेष राशि
2021-22	0	113800	113800	7300	106500
2022-23	106500	118000	224500	105200	119300

परिशिष्ठ -(ङ)

01/04/2021 से 31/03/2023 तक ग्राम पंचायत डलाह की दुकान किराया रिपोर्ट

वर्ष	O.B.	डिमांड	O.B.+ डिमांड	प्राप्त राशि	शेष राशि
2021-22	61503	67200	128703	103953	24750
2022-23	24750	168800	193550	150912	42638

11/12/23

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत डलाह
वि0ख0 द्रंग स्थित पधर
जिला मण्डी (हि0प्र0)